

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रिबिया

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

निरंजननाथ

उनवान

बनाम

राज.सरकार आदि

दावा बाबत **दोषणात्मक U/S 88 R.T.A.**

मुकदमा नम्बर :- **15/2021**

निर्णय दिनांक :- **23-11-2021**

वादी की ओर से **स्वर्ध** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज **प्रतिवादीगण** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **23-11-21** को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **लोक अदालत की भावना से दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि ज़मि खाता सं. 232 ख.नं. 451 तादादी 5.8805 हेक्टेयर एवं खाता सं. 233 ख.नं. 212, 339, 453 कुल तादादी 14.6066 हेक्टेयर रोही ग्राम रिबिया में अंकित वादी का नाम हर लाल पुत्र पुरणाराम के स्थान पर निरंजननाथ चेला बालकनाथ अंकित करने का आदेश दिया जाता है। लक्ष्मीलाल, चूरु को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल काम करने के निर्देश दिये जाते हैं। उक्त नाम पुस्तकी के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होता है तो उसकी खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। समस्त जिम्मेवारी वादी को रहेगी। यह आज तारीख **23-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।**



( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



नामा.सं. 1314  
24.11.21